तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सौरभ शेखावत बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 149/2023 (ऑनलाईन नं.353785037668993)	
24.08.23	अपीलार्थी सौरभ शेखावत, निवासी प्लॉट नं. 13, ब्लॉक ई, नारायण सिटी, हाथोज जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 22.05.23. में उसके द्वारा (1) ग्राम बिराई तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर में पुनमसिंह पुत्र प्रथ्वीसिंह जाति राजपूत की सम्पूर्ण जागीर सम्वत् 2000 से 2080 तक का रिकॉर्ड के दस्तावेज व नक्शा की प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 881 दिनांक 28.07.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी अभिलेख अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 28.06.2023 को ऑनलाईन सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में आप द्वारा पूर्ण विशिष्टिया (यथा गाव का नाम, खसरा सं0 एव खातेदार का नाम) का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध करया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 748 दिनांक 03.07.23 द्वारा भी प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	